

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 172/प्र0अ0-भवन/जोन-1/2011-12 दिनांक 13/03/2012

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अंतर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमे के सम्बन्ध में जिरा पर व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई अन्तर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलेखत या स्वामित्व के अधिकारों को विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री राजीव अग्रवाल, डायरेक्टर, मंगलगूर्ति इन्फ्रास्ट्रेट प्रा0सि0 स्थल नजूल फी डोल्ड सप-विभाजित मूखण्ड संख्या-30ए एम0जी0 मार्ग, इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही संपादन/अधिसौग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास संपादित 2008 में संपादित संख्या-2,1.8 एवं 3,1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तित (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निगम किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक संपादन में लाया जा सकेगा।
3. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः गिरस्त समझा जायेगा।
4. स्थल पर एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 07 ट्रीज लगाने होंगे तथा वृक्षों को हर-भरा रखने का दाखिल आवेदक का होगा।
6. स्थल पर समस्त आन्तरिक पैकारा कार्य स्वतः पूर्ण करना होगा।
7. मानचित्र में दर्शित Green Space हेतु छोड़ी गयी भूमि पर कोई भी निर्माण अवैध होगा तथा Green Space को बाल-सफाया के रूप में विकसित करना होगा।
8. स्थल पर पुराना निर्मित कालन विद्यमान है, जिसे हटवाकर प्रस्तावना के अनुरूप निर्माण करना होगा।
9. स्थल पर दायिक पार्किंग विकसित कर सदैव गतिमान रखनी होगी।
10. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अंतर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
11. यह स्वीकृत पत्र केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए है। यदि मूखण्डों का सप विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इन्फ्रास्ट्रेट नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
12. मकान निर्माण से यदि नालों के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नालों के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े निछाड़े अथवा उसके अन्तर्गत के कारण डक गई हों) को हानि पहुँचे तो गृहस्थानी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसी अन्दे चर्चे से मरम्मत करके पूर्णतः उपरथा जिरा विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाये, में कर देगा।
13. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1956) नियम 80 का पालन किसी भी दश में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
14. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की तीन तक तथा छत तक बन जाने एवं उत्तरे पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
15. यदि निर्माण में वाटर प्लान का पालन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को ही गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किय गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अंतर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

(राम सिंह)

संयुक्त सचिव/प्र0अ0-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,

172/13/2012

